

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 34/2023

तारीख दायर:-01.06.2023

तारीख निर्णय:-25.03.2025

1. श्री कुबेरा पिता भीखा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
2. श्री किशन पिता भील गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता केशा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
2. श्री लालुराम पिता स्व. रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
3. श्री डायला पिता वक्ता गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
4. श्री हकरा पिता गुला गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
5. श्री सेलाराम पिता भेरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
6. श्री थावरा पिता भेरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
7. श्री होमा पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
8. श्री नका पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
9. श्री देवा पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
10. श्री मुर्जन पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
11. श्री सुन्दर पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
12. श्री किशन पिता भेरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।
13. श्री चन्दन पिता भेरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल ।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री प्रवीण कुमार मेहता

अप्रार्थी की ओर से- श्री भज्जालाल पटेल

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा कोट पटवार हल्का आंजेराली तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 171 रकबा 0.0500, 2 रकबा 0.2300, 241 रकबा 0.1900, 497 रकबा 0.0300 कित्ता 04 कुल रकबा 0.5000 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा कोट

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर




पटवार हल्का आंजेराली तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 171 रकबा 0.0500, 2 रकबा 0.2300, 241 रकबा 0.1900, 497 रकबा 0.0300 कित्ता 04 कुल रकबा 0.5000 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं कि कि कि मौजा कोट पटवार हल्का आंजेराली तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 171 रकबा 0.0500, 2 रकबा 0.2300, 241 रकबा 0.1900, 497 रकबा 0.0300 कित्ता 04 कुल रकबा 0.5000 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कपिल कुमार कोठारी)
उत्पखण्ड अधिकारी
झांझोड़ जिल्लादरमुपपुर